कार्यालय मुख्य अभियन्ता, (मध्य क्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

पत्रांक- 312 सी0जेड0/4सी0जेड0(पे0पं0)/2016, दिनाँक- 21/1/2016

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त, लो0नि0वि0, उन्नाव द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर पलिया-लखनऊ मार्ग (राज्य मार्ग सं0-25) पर एस्सार ऑयल कम्पनी लि0 द्वारा आउटलेट स्थापित किये जाने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है :-

1. प्रस्तावित आउटलेट पलिया-लखनऊ मार्ग (राज्य मार्ग सं0-25) पर किमी0 136 चैनेज 135.780 से 135.810 में मार्ग की मध्य रेखा से 22.86 मी0 की दूरी पर बॉयी ओर पक्का निर्माण कराया जाय।
2. पेट्रोल/डीजल पम्प का लेविल मार्ग के लेविल से कम से कम 15 सेमी0 नीचा तथा सर्विस एरिया का ढ़ाल कम से कम 02 प्रतिशत ढ़ाल ड्रेन की ओर रखा जाय, ताकि पानी का बहाव मार्ग पर किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए।
3. पेट्रोल/डीजल पम्प एवं विभागीय भूमि के बीच पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की ग्रेडिंग से ढका जाय, ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सकें।
4. सड़क से पेट्रोल/डीजल पम्प तक पहुँचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन0पी0-3 ह्यूम पाईप/आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कम्पनी/मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय।
5. ड्रेनेज हेतु पेट्रोल/डीजल पम्प/सर्विस एरिया का ढाल कम से कम 02 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाय।
6. पेट्रोल/डीजल पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज बफर स्ट्रिप क्षेत्र में जमीन से कम से कम 03 मीटर ऊपर रखा जाय। पम्प के साइनेज के अतिरिक्त कोई स्ट्रक्चर अथवा होर्डिंग लो0नि0वि0 की जमीन पर नहीं खड़ा किया जाय।
7. लोक निर्माण विभाग की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।
8. बफर स्ट्रिप कम से कम 12 मीटर लम्बी व 03 मीटर चौड़ी तथा प्रवेश एवं निकासी गेट कम से कम 09 मीटर चौड़े होंगे।
9. बफर स्ट्रिप के बाहरी सिरे से फ्यूल फिलिग पम्प की दूरी 07 मीटर से कम नहीं होगी।
10. निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
11. भूमि स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
12. एस्सार ऑयल कम्पनी लि0 के समस्त निर्देशों का पालन एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, हरदोई द्वारा ब्लू प्रिन्ट पर उल्लिखित अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
13. आई0आर0सी0-12-1983 में दी गई शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।
15. भारत सरकार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के परिपत्र सं0-आर0डब्लू0/एन0एच0-33023/19/99-डी0ओ0-III, दि0 24.07.13 द्वारा जारी निर्देशानुसार आवश्यक धनराशि कार्पोरेशन बैंक, हरदोई का डी0डी0 सं0-297455, दि0 14.09.2015 रू0 2,30,000.00 जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, हरदोई के नाम से जमा है।

उपरोक्त अनुमति अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, हरदोई का पत्र सं0-59/19एम0जी0/2016, दि0 11.01.2016 तथा अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त, लो0नि0वि0, उन्नाव का पत्र संख्या-135सी0/26सी0-उन्नाव वृत्त/2016, दि0 14-01-2016 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है। उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(वी0के0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता, (म0क्षे0)
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिलाधिकारी, हरदोई।
   संलग्नक-ड्राइंग एक प्रति में।
2. अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त, लो0नि0वि0, उन्नाव के पत्र सं0-135सी0/26सी0-उन्नाव वृत्त/2016, दि0 14-01-2016 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, हरदोई के पत्र सं0-59/19एम0जी0/2016, दि0 11.01.2016 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता, (म0क्षे0)
लो0नि0वि0, लखनऊ